न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :–153 / 2021 दायर दिनांकः 15.11.2021

GCMS NO:- 2021/341

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. अमरा आ0 पोखर जाति माली निवासी ग्राम खोडी तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

–वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां, तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थितिः–

वादी की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 04.02.2022

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी की कृषि भूमि सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 244 खसरा संख्या 1906 / 3773 रकबा 0.7766 हैक्टेयर वादी के गैरखातेदारी व आधिपत्य की है। यह भूमि वर्षो पूर्व आवंटन हुई थी तथा आवंटन के समय से ही वादी लगातार काबिज काश्त करता चला आ रहा है। यह कि वादी को उक्त भूमि पर खातेदार घोषित करवाने हेतु प्रतिवादीगण से एक माह पूर्व निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण ने अभी तक वादी को खातेदार घोषित नही किया है। यही वाद का कारण है। अतः वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि उक्त कि भूमि पर वादी को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण को यह भी अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नही करे। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल खसरा गिरदावरी एवं नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

तहसीलदार नैनवां से प्राप्त जवाब के अनुसार वादी उक्त भूमि पर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। वाद पत्र में बहस सुनी गयी। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना की गई है। अतः वादीगण का वाद मुताबिक याचना डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। ग्राम खोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी की कृषि भूमि सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 244 के खसरा संख्या 1906 / 3773 रकबा 0.7766 हैक्टेयर भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी [illegible] [illegible] हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में

निर्णय आज दिनांक 04.02.2022 को मेरे द्वारा [illegible]

सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:27:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवां

Scanned with CamScanner